न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–248/2025/223 पी.डी.आर.एक्ट (2025/248)

1. केतन भाई पटेल पुत्र श्री नरसिंह भाई लखुदास पटेल निवासी अनुराग बंगलों के सामने, 2 अनुष्ठान बंगलों, सोला, अहमदाबाद (गुजरात)।

अपीलांट

बनाम

1. खनिज अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर।
2. जिला कलेक्टर, अजमेर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 23/ए राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952, विरूद्ध आदेश खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर दिनांक 30.04.2025 को पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री विजय दिवाकर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः–19.03.2026

1. यह अपील खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान प्रकरण में अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2025 को पारित किया गया। अतः खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रूपए 15000/– वास्ते संविदा प्लाट संख्या 66, वास्ते खनिज ग्रेनाईट, खसरा संख्या 209 किस्म बारानी 3 निकट गांव रिछमालिया, तहसील पीसांगन, अजमेर क्षेत्रफल 1.3658 है0 वार्षिक स्थिर भाटक 81,948/– जो कि समय समय पर नियमानुसार संशोधित किया जाएगा और तृतीय किश्त एवं चतुर्थ किश्त राशि 20 प्रतिशत के रूप में संविदा का निष्पादन होने के बाद खनन पट्टा अवधि क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रारम्भ में जमा करानी होगी की शर्त पर संविदा पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष के लिये जरिये नीलामी विज्ञप्ति दिनांक 4.9.2020 के अन्तर्गत दिनांक 29.9.2020 को उच्चतम बिड रुपए 1,50,69,800/– पर चयनित उच्चतम बोली दाता प्रार्थीगण के पक्ष में अधीक्षण, खनिज अभियन्ता, अजमेर

वृत्त अजमेर के आदेश कमांक 3977 दिनांक 18.6.2021 को स्वीकृत किया गया जिसकी अनुपालना में अपीलान्ट नियमानुसार किश्त जमा कराता आ रहा है। कार्यालय खनिज अभियन्ता, अजमेर में दिनांक 13. 10.2020 को प्रस्तुत की गई तथा एम.एम.सी.आर. 2017 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 14.3.2018 के अन्तर्गत अग्रिम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राशि रू. 60,27,920/- चालान संख्या 631 दिनांक 6.10. 2020 द्वारा जमा कराई गई। संविदा की शर्तों के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय किश्त अपीलान्ट द्वारा जमा करा दी गई। कुल राशि रुपए 30,13,960/- दिनांक 18.6.2021 को जरिये ई चालान जमा करा दिये। अपीलान्ट द्वारा रूप्ए 60,27.920/- एवं 30,13,960/- कुल राशि रूपए 90,41,880/- जमा किया जा चुका है। संविदा की शर्त के अनुसार अपीलान्ट को स्वीकृत खनिज जिस उद्देश्य से आवंटित की गई थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि विवादित स्थल पर मिट्टी के अलावा कोई भी खनिज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके कारण जिस उद्देश्य से खनिज पट्टा अपीलान्ट को आवंटित किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण से संविदा की शर्तों के अनुकूल नहीं होने के कारण अपीलान्ट बकाया राशि जमा कराने में असमर्थ है। दिनांक 25.2.2025 को खनिज अभियन्ता द्वारा अपीलान्ट को जिला कलेक्टर के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें रूपए 84,52,261/- जमा कराने का प्राप्त हुआ एवं दिनांक 30.4.2025 को खनिज अभियन्ता द्वारा अपीलान्ट को जिला कलेक्टर के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें रूपए 86,47,961/- जमा कराने का प्राप्त हुआ। जिस उद्देश्य से खनिज संविदा अपीलान्ट को आवंटित की गई थी उस स्थान पर केवल मिट्टी के अलावा कोई भी खनिज उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलान्ट किसी भी प्रकार से बकाया राशि जमा कराने में असमर्थ है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को खनन हेतु उक्त आराजीयात आवंटित की गई थी, परंतु अपीलांट द्वारा खनन आवंटन की शर्तों का विधिवत पालन नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः हाजा न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट की उक्त अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में ई-नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अखअ नीलामी/नीलामी ML(ii)/2020/1857 दिनांक 04.09.2020 के अंतर्गत दिनांक 29.09. 2020 को उच्चतम बिड राशि रूपए 1,50,69,800/- मात्र पर चयनित उच्चतम बोलीदाता श्री केतनभाई पटेल/अपीलांट के पक्ष में प्लॉट संख्या 66 वास्ते खनिज ग्रेनाईट निकट ग्राम रिछमालिया, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर खसरा संख्या 209 में क्षेत्रफल 1.3658 है0 के लिए खननपट्टा अधीक्षण खनिज अभियंता, अजमेर वृत्त, अजमेर के आदेश क्रमांक अखज/अज/अजमेर/2021/डेलि0 प्लॉट-66/3977

दिनांक 18.06.2021 से स्वीकृत किया गया, जिसकी संविदा का निष्पादन दिनांक 21.06.2021 एवं पंजीयन दिनांक 21.06.2021 को किया गया। इस प्रकार उक्त खननपट्टा संविदा पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष के लिए प्रभावी हुआ।

खनिज विभाग द्वारा समय समय पर पट्टाधारी/अपीलांट को बकाया तृतीय किस्त की प्रीमियम राशि रूपए 30,13,960/— जमा करवाने बाबत 30/45 दिवसीय चेतना पत्र भी भिजवाया गया, परंतु अपीलांट द्वारा उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके पश्चात खनिज विभाग द्वारा श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर क्षेत्र जयपुर को पत्र लिखा गया व पट्टाधारी/अपीलांट द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने से खननपट्टा खण्डित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर क्षेत्र जयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए अपने आदेश क्रमांक 2432 दिनांक 15.09.2023 से उक्त खनन पट्टा खण्डित किया गया, जिसका कब्जा राजपक्ष में दिनांक 11.10.2023 को लिया गया।

अपीलांट द्वारा इन समस्त कार्यवाहियों के बावजूद भी बकाया राशि रूपए 8647961/— का भुगतान नहीं किया गया। खान विभाग द्वारा इस संबंध में जिला कलक्टर अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा जिला कलक्टर अहमदाबाद को पत्र प्रेषित कर बकाया राशि अपीलांट/पट्टाधारी से भारतीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अंतर्गत कार्यवाही कर बकाया राशि वसूल किए जाने बाबत पत्र लिखा गया।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खनन आवंटन के नियमों का उल्लंघन किया गया है, व बकाया राजस्व राशि रूपए 8647961/— आज दिनांक तक जमा नहीं करवाई गई है। अपीलांट द्वारा कहे गए कथन संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है, अपीलांट द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य जो संविदा सम्पादित हुई है, उसका पालन अपीलांट द्वारा नहीं किया जा रहा है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं। खनन विभाग द्वारा प्रकरण में विधि संगत कार्यवाही की गई है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2025 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर